

## बोकारो वन भूमिघोटाला

### चर्चा में क्यों?

22 अप्रैल, 2025 को [प्रवरत्न नदिशालय \(ED\)](#) ने बोकारो वन भूमिघोटाले में झारखंड और बिहार में कई स्थानों पर छापेमारी की।

### मुख्य बंदि

- **मामले की प्रकृति:**
  - ये छापे बोकारो ज़िले में **74.38 एकड़ वन भूमि** के अवैध अधिग्रहण से जुड़े एक बड़े धन शोधन जाँच से जुड़े हैं।
  - आरोप है कि भू-माफिया ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मलीभगत कर वविदति भूमि को एक नज़ी कंपनी को हस्तांतरित कर दिया।
  - ED उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों की जाँच कर रही है, जिस कंपनी ने भूमि खरीदी थी।
  - यह भूमि अभी भी कानूनी वविद में है, वन वविभाग का दावा है कि यह संरक्षित वन भूमि है, जबकि खरीदारों का तर्क है कि इसे [ब्रिटिश शासन](#) के तहत वर्ष 1933 की नीलामी में कानूनी रूप से अधिगृहीत किया गया था।
  - ED ने झारखंड और बिहार में 15 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें मनमोहन कंस्ट्रक्शन, बोकारो वन वविभाग, उपायुक्त कार्यालय, बोकारो में क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय शामिल हैं।

### बोकारो वन भूमि

- **स्थान और क्षेत्र:**
  - बोकारो वन प्रभाग पूरी तरह से पूर्वी झारखंड के बोकारो ज़िले में आता है। इसमें 543.933 वर्ग किलोमीटर वन भूमि शामिल है।
- **ऐतिहासिक संदर्भ:**
  - स्वतंत्रता से पहले ये वन रामगढ़ राज्य का हिस्सा थे और बाद में वर्ष 1997 में बोकारो वन प्रभाग बनने से पहले इनका प्रबंधन अन्य प्रभागों द्वारा किया जाता था।
- **भौगोलिक सुविधाएँ:**
  - ये वन छोटा नागपुर पठार के भीतर स्थित हैं तथा इनमें वभिन्न प्रकार के वन पारस्थितिकी तंत्र हैं।
- **महत्त्व:**
  - यह प्रभाग बोकारो क्षेत्र में वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

### प्रवरत्न नदिशालय (ED)

- **परिचय:**
  - ED एक बहु-वर्षिक संगठन है, जिसका कार्य [धन शोधन और वदिशी मुद्रा कानूनों](#) के उल्लंघन के अपराधों की जाँच करना है।
    - यह वतित मंत्रालय के [राजस्व वविभाग](#) के अधीन कार्य करता है।
  - भारत सरकार की एक प्रमुख वत्तीय जाँच एजेंसी के रूप में, ED भारत के [संवधान](#) और कानूनों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कार्य करती है।
- **संरचना:**
  - ED का मुख्यालय नई दलिली में है और इसका नेतृत्व [प्रवरत्न नदिशक](#) करते हैं।
    - मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दलिली में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनका नेतृत्व विशेष प्रवरत्न नदिशक करते हैं।
- **भरती:**
  - अधिकारियों की भरती [प्रत्यक्ष रूप से या](#) अन्य जाँच एजेंसियों से अधिकारियों को लेकर की जाती है।
  - इसमें [IRS \(भारतीय राजस्व सेवा\)](#), [IPS \(भारतीय पुलिस सेवा\)](#) और [IAS \(भारतीय प्रशासनिक सेवा\)](#) के अधिकारी शामिल हैं, जैसे आयकर अधिकारी, आबकारी अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी और पुलिस।
- **कार्यकाल:** दो वर्ष, लेकिन नदिशकों का कार्यकाल तीन वार्षिक वसितार देकर दो से पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
  - [दलिली विशेष पुलिस स्थापना \(DSPE\) अधिनियम, 1946 \(ED के लिये\)](#) और [केंद्रीय सतरकता आयोग \(CVC\) अधिनियम, 2003 \(CV आयुक्तों के लिये\)](#) में संशोधन किया गया है, ताकि सरकार को दोनों प्रमुखों को उनके दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद एक वर्ष तक अपने पद पर बनाए रखने का अधिकार मलि सके।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/bokaro-forest-land-scam>

